झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

रिट याचिका (सी) संख्या. 2154/2017

मोहन लाल विश्वकर्मा, स्वर्गीय सरजू राम विश्वकर्मा के पुत्र, निवासी मोहल्ला, छोटा निमडीह टाउन, डाकघर- और थाना- - चाईबासा, जिला - पश्चिम सिंहभूम

... याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

रघुनाथ ठाकुर, स्वर्गीय सुखन ठाकुर के पुत्र, निवासी मोहल्ला - छोटा निमडीह टाउन, डाकघर- और थाना- - चाईबासा, जिला - पश्चिम सिंहभूम

... उत्तरदाता/वादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्रीमती श्रुति श्रेष्ठ, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : श्री शंकर लाल अग्रवाल, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा: - दोनों पक्षों को

2. इस रिट याचिका को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया गया है, जिसमें विशेष रूप से 12.02.2017 के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की ओर से पी.डब्ल्यू.1 के आदेश को वापस लेने के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है और 09.11.2016 के आदेश को निरस्त करने/स्थगित करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत पी.डब्ल्यू.1 को बिना जिरह किए मुक्त कर दिया गया था।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि शीर्षक सूट संख्या 12/2014 के वादी, जो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, चाईबासा की अदालत में लंबित था, को पी.डब्ल्यू.1 के रूप में 29.02.2016 को पेश किया गया। उसकी आंशिक जिरह की गई और मामला 09.11.2016 को पी.डब्ल्यू.1 की आगे की जिरह के लिए तय किया गया। पी.डब्ल्यू.1 उपस्थित था। गवाह की उपस्थिति की सूचना प्रतिवादी के वकील को दी गई, जो इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता है। चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन ने देखा कि प्रतिवादी पी.डब्ल्यू.1 की आगे की जिरह में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए प्रतिवादी की ओर से कोई भी पी.डब्ल्यू.1 की जिरह के लिए उपस्थित नहीं हुआ, और इस प्रकार पी.डब्ल्यू.1 को 09.11.2016 को मुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा पी.डब्ल्यू.1 को आगे की जिरह के लिए वापस बुलाने के लिए एक याचिका दायर की गई। चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन ने माना कि प्रतिवादी 20 दिनों से पी.डब्ल्यू.1 की जिरह से बच रहा था और प्रतिवादी को पी.डब्ल्यू.1 की जिरह के लिए कानूनी रूप से अनुमत अवसर से अधिक दिया गया था, इसलिए पी.डब्ल्यू.1 को वापस बुलाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया।

4. प्रारंभ में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि शीर्षक सूट संख्या 12/2014 अभी भी चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन की अदालत में लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता को पी.डब्ल्यू.1 की आगे की जिरह करने की अनुमति न देने से न्याय, समानता और विवेक के हितों को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, चाईबासा ने प्रतिवादी/याचिकाकर्ता की पी.डब्ल्यू.1 को आगे की जिरह के लिए वापस बुलाने की याचिका को अस्वीकार करके एक विकृति की है। इसलिए, याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाए।

5. उत्तरदाता के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई देरी की रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए; यदि विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है तो प्रतिवादी/याचिकाकर्ता पर लागत लगाई जानी चाहिए।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शीर्षक सूट संख्या 12/2014 अभी भी चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन की अदालत में लंबित है

और प्रतिवादी द्वारा पी.डब्ल्यू.1 की पूर्ण जिरह नहीं की गई है और सूट में दाखिलियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस कोर्ट का यह विचार है कि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, चाईबासा ने पी.डब्ल्यू.1 की जिरह करने के लिए याचिकाकर्ता को अंतिम अवसर देने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

7. इसलिए, चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन द्वारा 12.02.2017 को पारित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।

8. तदनुसार, चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन द्वारा 12.02.2017 को पारित आदेश को रद्द और निरस्त किया जाता है।

9. प्रतिवादी/याचिकाकर्ता की चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन की अदालत या उसके उत्तराधिकारी अदालत में शीर्षक सूट संख्या 12/2014 के पी.डब्ल्यू.1 को वापस बुलाने की प्रार्थना को प्रतिवादी द्वारा इस निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के भीतर वादी को 2,000/- रुपये की लागत का भुगतान करने की शर्त के अधीन अनुमति दी जाती है, अन्यथा इस रिट याचिका में पारित आदेश प्रभावी नहीं होगा।

10. यदि प्रतिवादी/याचिकाकर्ता इस निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के भीतर वादी को 2,000/- रुपये की लागत के भुगतान का प्रमाण चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन की अदालत में शीर्षक सूट संख्या 12/2014 में दाखिल करता है, तो चाईबासा के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन को प्रतिवादी/याचिकाकर्ता को पी.डब्ल्यू.1 की आगे की जिरह के लिए एक अंतिम अवसर देने का निर्देश दिया जाता है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

12. इस रिट याचिका के निस्तारण के संदर्भ में, 09.11.2016 के आदेश को निरस्त/स्थगित करने की प्रार्थना, जिसके तहत पी.डब्ल्यू.1 को बिना जिरह किए मुक्त कर दिया गया था, निष्फल होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 29 फरवरी 2024
एएफआर/ अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**